केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 1029/टीएल/2025 दिनांक: 30.10.2026

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021, द्वारा विनियमित टैरिफ़ तंत्र (जिसे इसके पश्चात् "आरटीएम" कहा गया है) मोड के अधीन "नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) पर आरई आवदेक (आवदकों) को संयोजकता प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) आईएसटीएस योजना हेतु पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 16 के अधीन आवेदन किया गया है। उस परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना का नाम एवं कार्यान्वयन समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
1.	नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) पर आरई आवदेक (आवदकों) को संयोजकता प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली **कार्यान्वयन समय–सीमा:** आबंटन की तारीख से 24 मास	105.09	नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित

इस योजना के लिए कार्य का विस्तृत दायरा इस प्रकार है:
योजना का विस्तृत दायरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	कार्य का दायरा (सबस्टेशन का प्रकार/कंडक्टर क्षमता/किमी/बेज़ की संख्या आदि)
1.	नवीनल (मुंद्रा) एस/एस (जीआईएस) पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी की संस्थापना के साथ नवीनल (मुंद्रा) एस/एस (जीआईएस) पर 220 केवी बस स्विचयार्ड (बस सेक–I) का निर्माण	• 400/220 केवी आईसीटी – 1 नं. • 400 केवी आईसीटी बे – 2 नं. (जीआईएस में डायमीटर पूरा करने के लिए 1 नं. सहित)* • 220 केवी आईसीटी बे – 1 नं. • 220 केवी बीसी – 1 नं. • 400 केवी जीआईएस बस डक्ट (एम) ~ 62 मी (लगभग) • 220 केवी जीआईएस बस डक्ट (एम) ~ 62 मी (लगभग) • जीआईएस को एआईएस से संयोजित करने के लिए 400 केवी एयर बुशिंग – 3 नं. • जीआईएस को एआईएस से संयोजित करने के लिए 220 केवी एयर बुशिंग – 3 नं. • 220 केवी केबल (एम) ~ 600मी (लगभग) • 220 केवी केबल समाप्ति किट – 1 सेट * वन एंड हाफ ब्रेकर योजना का डायमीटर पूरा करने के लिए आईसीटी बे–टाई बे–लाइन बे कॉन्फिगुरेशन को ध्यान में रखा गया है।
2.	अडानी विंड एनर्जी कच्छ थ्री लि. (2200001083)(300 मेगावाट) की पवन परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 1 नं. 220 केवी लाइन बे (जीआईएस) (220 केवी बस सेक–I पर)	• 220 केवी लाइन बे – 1 नं.

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.12.2025 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 1029/टीएल/2025 में दिनांक 19.10.2026 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **9.11.2026** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **10.11.2026** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव